संचिका सं०-को०प्र०/मुकदमा-05/2017.......4691......./

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

अपर सचिव

दिनांक- 14-09-2020

सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग
पत्र प्राप्ति
15 SEP 2020
संख्या 4759
बिहार, पटना

विषयः- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP(c) Diary No.-15567/2018-बिहार राज्य बनाम महेन्द्र कुमार मिश्रा एवं अन्य के साथ अन्य सदृश SLP में पारित आदेश के अनुपालन में विभिन्न बोर्ड/निगम से कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालयों में सामंजित कर्मियों को पेंशन एवं सेवानिवृत लाभ स्वीकृत करने के लिए बोर्ड/निगम की सेवा अवधि को जोड़ने के संबंध में ।

राज्य के विभिन्न कोषागारों एवं भविष्य निधि कार्यालयों में बोर्ड/निगम के अतिरिक्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति वर्ष 1996-97 में की गयी थी । प्रतिनियुक्ति की सेवाशर्त में यह निर्धारित किया गया था कि इनकी प्रतिनियुक्ति तीन वर्षो के लिए होगी एवं प्रतिनियुक्ति अवधि में इनके कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही इनका समायोजन राज्य सरकार के शर्तो के अधीन कोषागार संवर्ग/भविष्य निधि संवर्ग में करने पर विचार किया जाएगा ।

अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
पत्र प्राप्ति
16 SEP 2020
संख्या 9079
बिहार, पटना

राज्य सरकार के द्वारा इन कर्मियों का सरकारी सेवा में समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक-2716 दिनांक-24.04.2007 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-2717 दिनांक-24.04.2007 में निर्धारित शर्तो के आधार पर दिनांक- 08.03.2006 के प्रभाव से कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालयों में किया गया । भारत सरकार के नीतिगत निर्णय के आलोक में राज्य सरकार द्वारा दिनांक- 01.09.2005 से New Pension Scheme(NPS) लागू किया गया है । फलतः उक्त समायोजित कर्मियों की सेवा NPS के अंतर्गत रखी गयी, इसलिए इन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय नही हुआ ।

2. इन कर्मियों द्वारा बोर्ड/निगम में योगदान की तिथि से सेवा में मानते हुए पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान करने हेतु पटना उच्च न्यायालय में CWJC No.-7702/2010, CWJC No.-8825/2010, CWJC No.-2796/2011 एवं CWJC No.-22339/2013 दायर किया गया था । उक्त सभी रिट याचिका को समेकित करते हुए पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-29.03.2017 को विस्तृत आदेश पारित करते हुए इसे खारिज कर दिया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध वादीगण द्वारा पटना उच्च न्यायालय में अपील याचिका LPA No.-716/2017(CWJC No.-7702/2010 से उत्पन्न), LPA No.-715/2017 (CWJC No.-8825/2010 से उत्पन्न), LPA No.-717/2017(CWJC No.-22339/2013 से उत्पन्न), LPA No.-763/2017(CWJC No.-7702/2010 से उत्पन्न), LPA No.-766/2017(CWJC No.-8825/2010 से उत्पन्न) एवं LPA No.-782/2017(CWJC No.-2796/2011 से उत्पन्न) दायर किया गया । उक्त अपील याचिका में सुनवाई के दरम्यान वादीगण द्वारा समान मामले में झारखंड सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील सं०-13372/2015 में दिनांक-07.09.2017 को पारित आदेश को Submit कर I.A दाखिल किया गया । पटना

उच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में झारखंड राज्य के मामले में पारित आदेश के आधार पर उक्त सभी अपील याचिका को समेकित करते हुए दिनांक-12.12.2017 को आदेश पारित किया गया कि समायोजन से पूर्व बोर्ड/निगम में बितायी गयी सेवा अवधि को पेंशन लाभ प्रदान करने हेतु परिगणित किया जाए । उक्त LPA No.-716/2017 एवं अन्य सदृश अपील याचिका में दिनांक-12.12.2017 को पारित आदेश का Operative अंश निम्नवत् है :-

"In view of the aforesaid, we allow all these appeals, quash the order dated 29.03.2017 passed by the writ Court in C.W.J.C. No. 7702 of 2010 and other analogous cases and direct the State of Bihar to grant benefit to each of the appellants herein by counting services as rendered by them in the Boards, Corporations and Public Sector Undertakings prior to their absorption and to grant them the pensionary benefit after counting such service in the Boards or Corporations."

3. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा LPA No.-716/2017 एवं अन्य अपील याचिका में पारित आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में SLP(C) Diary No.-15567/2018 दायर किया गया । राज्य सरकार द्वारा दायर उक्त SLP को झारखंड मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर खारिज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA No.-716/2017 में पारित आदेश को लागू करने का निदेश दिया गया । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP(C) Diary No.-15567/2018 में दिनांक-04.03.2020 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"In the circumstances, we are of the view that the Special Leave petitions need to be dismissed.

Considering that the respondents have not been paid anything, the State of Bihar to implement the impugned LPA judgment and to see that all benefits mentioned therein are paid within a period of six months from today.

Pending applications stand disposed of".

4. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP(C) Diary No.-15567/2018 (बिहार राज्य बनाम महेन्द्र कुमार मिश्रा एवं अन्य) में पारित आदेश मूल रूप से झारखंड राज्य के मामले में पारित आदेश के आधार पर दिया गया है । झारखंड मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No.-13372/2015- झारखंड राज्य बनाम बीर कुमार पासवान एवं अन्य में दिनांक-07.09.2017 को पारित आदेश में अंकित किया गया है कि :-

"... the respondents - employees were working in different Public Sector Undertakings where the job was pensionable ....Pension and retiral benefits as also the arrears shall be calculated giving the benefits of High Court Judgment, within a period of six months."

उल्लेखनीय है कि बोर्ड/निगम में पेंशन के मामले में अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू है । इसी मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा समायोजन/Absorption के संबंध में W.P.(S) No.-1693/2013 में दिनांक 31.07.2013 को पारित आदेश, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट है, के कंडिका-14 में स्पष्ट किया गया है कि :-

"............It has to be kept in mind that absorption is not fresh appointment. Absorption, according to Black's Law Dictionary is "the act or process of including or

incorporating a thing into something else." According to the Pocket Oxford Dictionary (Indian Edition 2001) "to absorb" is to "incorporate as part of itself or oneself" and "absorption" is "absorbing or being absorbed".

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा समायोजन के आधार पर की गयी नियुक्ति को नयी नियुक्ति नहीं माना गया है ।

5. बोर्ड/निगम से कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालयों में प्रतिनियुक्त कर्मियों की सेवा शर्त्त मे यह अंकित किया गया था कि संतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में दो या तीन वर्ष के अंदर सरकारी सेवा में समायोजन करने पर विचार किया जाएगा । बोर्ड/निगम में अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू थी । इस संदर्भ में वित्त विभागीय पत्रांक-734 दिनांक-20.11.96 की कंडिका-8 द्वारा निदेशित किया गया है कि "निगमों में अंशदानित भविष्य निधि योजना लागू है । अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि में कटौती की राशि की कटौती कोषागार द्वारा की जाएगी । उसे पैतृक निगमों/बोर्डों को भेज दिया जायेगा । निगम/बोर्ड नियमानुसार अपना अंशदान मिलाकर उसे जमा करेंगे ।" इसी क्रम में वित्त विभागीय पत्रांक-5076 दिनांक-10.07.2003 द्वारा निर्णय लिया गया कि "निगम/बोर्ड से कोषागारों/उपकोषागारों में प्रतिनियुक्त कर्मियों के छुट्टी वेतन अंशदान एवं अंशदायी भविष्य निधि लेखा में नियोजक की अंशदान की राशि सरकार द्वारा जमा की जाएगी ।" बोर्ड/निगम से कोषागार में प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रतिनियुक्ति अवधि के अधीन सेवान्त लाभ के दायित्वों के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक-5308 दिनांक-17.06.2015 द्वारा निदेश निर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत अंशदायी भविष्य निधि अंशदान में प्रतिनियुक्त कर्मी के वेतन से कटौती होने पर अथवा नहीं होने की स्थिति में भी राज्य सरकार के अंशदान का ब्याज सहित भुगतान करने का निर्णय लिया गया है । इसके अतिरिक्त पैतृक बोर्ड/निगम द्वारा भी निगम कर्मियों को ACP/MACP, उपादान,. अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के राशि के अंतर राशि का भुगतान निगम की अवधि के लिए किया गया है ।

6. चूँकि बोर्ड/निगम में पेंशन स्कीम लागू नहीं था, इसलिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति की तिथि से इन कर्मियों को सेवांत लाभ भुगतेय का निम्न प्रावधान किया गया है :-

(i) Contributary Provident Fund/Employee Provident को उनके वेतन से CPF/EPF कटौती हुआ या नहीं, दोनों ही स्थिति में नियोक्ता अंशदान ब्याज सहित भुगतान करने का प्रावधान किया गया ।

(ii) प्रतिनियुक्ति की तिथि से उपार्जित अवकाश की गणना करते हुए अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि का भुगतान ।

(iii) यदि प्रतिनियुक्ति अवधि में समूह बीमा योजना उनके द्वारा वेतन से कटौती करायी गयी है, तो ब्याज सहित भुगतान ।

(iv) बोर्ड/निगम द्वारा पैतृक निगम में बितायी गयी सेवा के लिए उपादान का भुगतान किया गया है । राज्य में प्रतिनियुक्ति अवधि सहित सेवा में बितायी गयी अवधि के लिए उपादान का भुगतान ।

(v) बोर्ड/निगम में यदि भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति/ए०सी०पी० मिला है तो उसके कारण उत्पन्न बकाया अंतर राशि का भुगतान ।

7. CWJC No.-3890/2006 एवं LPA No.-908/2006 के अंतरिम आदेश के आलोक में बोर्ड/निगम से प्रतिनियुक्त कर्मी का समायोजन दिनांक-08.03.2006 के प्रभाव से राज्य सरकार में किया गया है । नयी पेंशन प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप इनकी सेवा एन०पी०एस० के अंतर्गत है । एन०पी०एस० के प्रावधानों के अनुसार उनके मासिक वेतन से मूल वेतन एवं मँहगाई भत्ता का 10% एन०पी०एस० मद में कटौती किया गया है तथा समतुल्य राशि (10%) राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दिया गया । उक्त 20 प्रतिशत राशि को PFRDA के दिशा निदेश के अनुसार पेंशन फंड प्रबंधकों (LIC, UTI, SBI) द्वारा बाजार में निवेश किया गया । सेवानिवृत होने के फलस्वरूप अंशदानित राशि तथा उसपर प्राप्त लाभांश के साथ पेंशन फंड की कुल राशि नियत की गयी है । कर्मी के अनुरोध पर इसका 60% एकमुश्त राशि उन्हें भुगतान कर दिया गया तथा 40% से उन्हें पेंशन प्रदाता कंपनी से मासिक पेंशन का भुगतान हो रहा है । पुरानी पेंशन योजना में जाने पर 60% एक मुश्त प्राप्त राशि में लाभांश सहित सरकारी अंशदान की राशि ब्याज सहित वापस करना होगा । इसी प्रकार पेंशन प्रदाता कंपनी से 40% राशि वापस प्राप्त करना होगा तथा इसका आधा राज्य सरकार के कोष में जमा कराना होगा ।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश से बोर्ड/निगम से कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप सरकारी सेवा में समायोजित कर्मी आच्छादित हो रहे है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश में अंकित है कि बोर्ड/निगम के प्रतिनियुक्त कर्मियों की सेवा पेंशन योग्य है तथा उन्हें सेवांत लाभ मद में कोई भुगतान नही किया गया है, जबकि स्थिति इसके विपरीत है । अविभाजित बिहार के द्वारा बोर्ड/निगम से प्रतिनियुक्त कर्मियों में से जो विभाजन के बाद झारखंड सरकार के अधीन चले गये, उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पेंशन का लाभ दिया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित निर्णय लिया गया है :-

I. विभिन्न बोर्ड/निगम से कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालयों में प्रतिनियुक्त एवं वित्त विभागीय पत्रांक-2716 दिनांक-24.04.2007 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-2717 दिनांक-24.04.2007 के द्वारा क्रमशः कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालयों में दिनांक-08.03.2006 के प्रभाव से समायोजित किया गया है । इन कर्मियों को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ की स्वीकृति हेतु बोर्ड/निगम की सेवा अवधि को भी परिगणित किया जायेगा ।

II. बोर्ड/निगम से सरकारी सेवा में समायोजन होने की स्थिति में किये गये नियुक्ति को समायोजन आधारित नियुक्ति माना जाएगा । इसे नयी नियुक्ति नहीं माना जायेगा ।

III. बोर्ड/निगम से कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालयें में प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप सरकारी सेवा में सामंजित होने वाले कर्मियों को सेवानिवृति के उपरांत पेंशन का लाभ की स्वीकृति हेतु सेवा की गणना में बोर्ड/निगम में की गयी सेवा अवधि को भी जोड़ा जाएगा ।

IV. बोर्ड/निगम में ACP प्राप्त होने की स्थिति में वेतन निर्धारण का सत्यापन जिला लेखा पदाधिकारी से कराया जायेगा ।

V. बोर्ड/निगम और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयें यथा कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालयें द्वारा पूर्व में सेवांत लाभ के मद में किये गये भुगतान की राशि की वसूली निम्नानुसार सुनिश्चित की जायेगी :-

(क) अंशदायी भविष्य निधि/कर्मचारी भविष्य निधि मद में राज्य सरकार द्वारा अंशदानित राशि का भुगतान ब्याज सहित कर्मियों को किया गया है । नियोक्ता द्वारा भुगतान किये गये संपूर्ण राशि (उक्त अंशदान पर ब्याज सहित) भुगतान की तिथि से वापसी की तिथि तक समय-समय पर निर्धारित GPF ब्याज दर के आधार पर ब्याज सहित सरकार को वापस की जायेगी ।

(ख) अव्यवहृत उपार्जित अवकाश एवं उपादान मद में की गयी भुगतान राशि का प्रमाण पत्र संबंधित बोर्ड/निगम एवं प्रतिनियुक्त कार्यालयें से प्राप्त किया जायेगा तथा सत्यापनोपरांत अधिकतम सीमा से अधिक राशि का भुगतान नही किया जायेगा । अधिकतम सीमा से भुगतान की गयी अधिक राशि की वापसी सुनिश्चित की जायेगी ।

(ग) एन०पी०एस० के अंतर्गत कई कर्मियो को भुगतान किया गया है । इस मद में सरकारी अंशदान की राशि (लाभांश सहित) की वसूली समय-समय पर निर्धारित GPF ब्याज दर के आधार पर ब्याज सहित अद्यतन तिथि तक की जायेगी । इसके अंतर्गत निम्नांकित स्थिति हो सकती है :-

(i) यदि पेंशन फंड की राशि में से 60% का एकमुश्त भुगतान कर्मी को हुआ है तथा 40% से पेंशन मिल रहा है तो 60% एकमुश्त भुगतान में से आधा (50%) सरकारी कोष में जमा कराया जायेगा । 40% राशि पेंशन प्रदाता कंपनी से वापस प्राप्त किया जायेगा तथा इसका 50% सरकारी कोष में जमा कराया जायेगा । यदि संविदा एकरार के कारण पेंशन सेवा प्रदाता कंपनी राशि वापस नही करती है तो उक्त 50% राशि कर्मी से प्राप्त कर सरकारी कोष में जंमा कराया जायेगा ।

(ii) पेंशन फंड की राशि ₹02 (दो) लाख से कम होने या फंड अंतरण नहीं होने एवं कर्मी की मृत्यु होने या अन्य किसी भी कारण से यदि संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है तो ब्याज सहित संपूर्ण राशि की 50% वापस प्राप्त कर सरकारी कोष में जमा कराया जायेगा ।

(iii) एन०पी०एस० कर्मियों को भी पुरानी पेंशन योजना के सदृश उपादान भुगतान किया गया है । उक्त राशि का सामंजन करते हुए उपादान का

भुगतान किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बोर्ड/निगम और राज्य सरकार के कार्यालय से किये गये उपादान मद की राशि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।

(घ) राशि की वसूली कर सरकारी कोष में जमा कराने के बाद ही पेंशन स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी। बोर्ड/निगम तथा प्रतिनियुक्त एवं सामंजित कार्यालयों से अभुगतेय प्रमाण पत्र तथा कोई बकाया नहीं है का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

VI. सभी जिला पदाधिकारी को पेंशन एवं सेवानिवृति लाभ की स्वीकृति के लिए सक्षम पदाधिकारी घोषित किया जाता है। किसी भी संशय की स्थिति में वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जायेगा।

VII. वरीयता के निर्धारण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र/परिपत्र लागू होगा।

9. इस पर मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है।

आदेश - **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल सिंह),
सचिव(व्यय)।

ज्ञापांक-को०प्र०/मुकदमा-05/2017 4691 दिनांक- 14-09-2020

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह),
सचिव(व्यय)।

ज्ञापांक-को०प्र०/मुकदमा-05/2017 4691 दिनांक- 14-09-2020

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह),
सचिव(व्यय)।

ज्ञापांक-को०प्र०/मुकदमा-05/2017 4691 दिनांक- 14-09-2020

प्रतिलिपि-अपर सचिव, प्रभारी सांख्यिक वित्त शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, प्रभारी पेंशन शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सचिव(व्यय)।

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः— 11/अ0प्र0—03—02/2019 4663 पटना, दिनांक 30/9/2020

Mail

प्रतिलिपिः—सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/09/2020

अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,

E/R-Noting